दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि:- 21 अगस्त, 2024

रि.या.(आप.) 793/2017, आप.वि.आ. 13198/2017, 14493/2017, 15145/2017, 16619/2017, 16639/2017, 3556/2018, 4559/2018, 8441/2018, 34126/2019, 4524/2020 और 8850/2024

न्यायालय की स्वप्रेरणा से: आई. पी. विश्वविद्यालय के विधि छात्र सुशांत रोहिला की आत्महत्या।

.....याचिकाकर्ता

के माध्यम से: श्री दयान कृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायमित्र सहित श्री सुकृत सेठ, सुश्री आकाशी लोढ़ा व श्री संजीवी शेषाद्री, न्यायमित्र हेतु अधिवक्तागण (मोबाइल: 9871167778)।

बनाम

....प्रत्यर्थी

के माध्यम से: श्रीमती अवनीश अहलावत, स्था.अधि. एनएसयूटी के साथ श्री एन.के. सिंह, सुश्री लावन्या कौशिक, सुश्री अलीज़ा आलम और श्री मोहनीश सहरावत, अधिवक्तागण।

श्री राजन चावला व गौतम चौहान प्र-1 हेतु अधिवक्ता। (मोबाइल: 9871733347)।

श्री राजेश यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री हनी खन्ना व श्री श्याम सिंह, प्र-4 और 5 हेतु अधिवक्तागण (मोबाइल: 9899649343)।

सुश्री मोनिका अरोड़ा प्र-13-आईआईएमसी हेतु अधिवक्ता (मोबाइल: 9810246300)।

श्री अर्जुन मित्रा, प्र-14 और 15 हेतु अधिवक्ता।

सुश्री भारती राजू, प्र-16 हेतु अधिवक्ता (मोबाइल:9868895906)।

श्री सिद्धार्थ पांडा, प्र-19 हेतु अधिवक्ता (मोबाइल:9891488088)।

श्री मोहिंदर जेएस रूपल दिल्ली विश्वविद्यालय हेतु अधिवक्ता (मोबाइल:9811151216)।

श्री हार्दिक रूपल, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय हेतु अधिवक्ता (मोबाइल: 9811316090)।

श्री नीरज वर्मा प्र-24 हेतु अधिवक्ता (मोबाइल: 9810762420)।

श्री अमितेश कुमार, सुश्री प्रीति कुमारी और सुश्री मृणाल किशोर, प्र-27 हेतु अधिवक्तागण (मोबाइल: 7503397704)।

श्री विभाकर मिश्रा, श्री लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय हेतु अधिवक्ता (मोबाइल: 9810092597)।

श्री अंकित जैन और सुश्री दिव्यांशु राठी, आईएलआई हेतु अधिवक्ता। (मोबाइल: 8396996188)।

श्री केशव दत्ता, श्री रूपल लूथरा और श्री अभिषेक बुधिराजा, शिकायतकर्ता हेतु अधिवक्तागण। (मोबाइल: 8860995133)।

श्री राजन चावला और सुश्री याशी सिंह, एमिटी लॉ स्कूल हेतु अधिवक्तागण।

सुश्री प्रज्ञा पी सिंह, प्र-32 हेतु अधिवक्ता।

सुश्री अंजू भूषण गुप्ता, श्री आदित्य गोयल और श्री संजय गुप्ता, प्र-33 हेतु अधिवक्ता।

श्री यशवर्धन, सुश्री कृतिका नागपाल, श्री ज्ञानेंद्र शुक्ला और श्री प्रणव दास, डीपीएसआरयू हेतु अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह

माननीय न्यायमूर्ति अमित शर्मा

<u>न्या. प्रतिभा एम. सिंह</u> (मौखिक)

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड द्वारा की गई है।

2. सर्वप्रथम, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 22 फरवरी, 2024 के आदेश में *"संबंधित पक्षकारगण के*

विद्वान अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद" अभिव्यक्ति के उपयोग को देखते हुए, अभियुक्तगण विरोध याचिका में भी सुनवाई की मांग कर रहे हैं, जिसमें आवेदन दायर करके उन्हें *सुने जाने का कोई अधिकार* नहीं है।

3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्लोजर रिपोर्ट पर निर्णय शीघ्रता से लिया जा सके, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश उस आवेदन के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा जो अब अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विरोध याचिका और अभियुक्त के आवेदन पर संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2024 के आदेश के अनुसार, उसके गुणागुण के आधार पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।

<u>पृष्ठभूमिः</u>

4. वर्तमान याचिका एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण शुरू हुई जिसके परिणामस्वरूप एक युवा की जान चली गई। दिनांक 20 अगस्त, 2016 को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को राघव शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा एक पत्र भेजा गया, जिसमें उसने दिल्ली के एमिटी लॉ स्कूल के छात्र श्री सुशांत रोहिल्ला, जिसने दुर्भाग्यवश आत्महत्या कर ली थी, की बहन के लिए सहायता मांगी थी। उक्त पत्र इस आरोप पर आधारित था कि मृतक को कम उपस्थिति बनाए रखने के लिए संस्थान और कुछ संकाय सदस्यों द्वारा

संतापित किया गया था। उसे बी.ए.एलएल.बी.(विधि में स्नातक) पाठ्यक्रम में एक पूरा शैक्षणिक वर्ष दोहराने के लिए मजबूर किया गया था। दिनांक 10 अगस्त, 2016 को उसका निधन हो गया और उसने संस्थान के कुछ संकाय सदस्यों पर भी आरोप लगाए थे। राघव शर्मा के अनुसार, वे मृतक का मित्र था और उसने कहा कि सुशांत एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति था। राघव शर्मा ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र याचिका भेजी जिसमें उसने एक समिति की नियुक्ति और देश भर के सभी महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए नियम और विनियम बनाने की प्रार्थना की। दिनांक 20 अगस्त, 2024 की अपनी पत्र याचिका में उसने जो प्रार्थना की है, वह नीचे दी गई है:

> *"10. यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित राघवन समिति की वि.अनु.या. सं. 24295/2006 की रिपोर्ट विद्यमान है, जो रैगिंग की समस्या से संबंधित है, परंतु अधिकारियों और प्रोफेसरों द्वारा मानसिक उत्पीड़न के कारण महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की पीड़ित मनोवैज्ञानिक स्थिति अभी भी संज्ञान की प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए, मैंने ऊपर जो भी घटनाएँ बताई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि इस मामले का संज्ञान लें और संभवतः एक स्वतंत्र समिति का गठन करें जो न केवल संबंधित प्रोफेसर द्वारा सुशांत के उत्पीड़न और यातना के मामले की गहराई से जाँच करेगी और अन्य अधिकारियों द्वारा इस सब की अनवेक्षा करेगी अपितु इसके बाद देश भर के सभी*

महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए ऐसे नियमों और विनियमों को भी बनाएगी, जो ऐसे कारणों से छात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर विचार करेंगे। मैं इस मामले की जाँच करने वाली किसी भी समिति और किसी भी जाँच के लिए स्वयं को उपलब्ध कराने में प्रसन्न रहूँगा"

5. इस पत्र पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2016 को विचार किया गया तथा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"सुना गया।
हम इस मामले में हमारी सहायता करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एफ.एस. नरीमन से अनुरोध करते हैं। रजिस्ट्री द्वारा श्री एफ.एस. नरीमन को रिट याचिका पेपर-बुक(अभिलेख पुस्तिका) की एक प्रति उपलब्ध कराई जाए। श्री सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने एमिटी लॉ स्कूल की ओर से उपस्थिति दर्ज कराई है और श्री अशोक महाजन कोई भी प्रतिक्रिया/दस्तावेज दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं।
आवश्यक कार्य पूरा होने के बाद पोस्ट(डाक में डालें) करें।"

6. इसके बाद दिनांक 06 फरवरी, 2017 को विधि विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष को शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद दिनांक 06 मार्च, 2017 को रिट याचिका इस न्यायालय को स्थानांतरित कर दी गई। उक्त आदेश इस प्रकार है:-

"इस रिट याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए, जिससे इस पर विधि के अनुसार सुनवाई और निर्णय किया जा सके।

पक्षकारगण दिनांक 14.03.2017 को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। मामले का रिकॉर्ड स्थानांतरित किया जाए।"

7. मामला इस न्यायालय में स्थानांतरित होने के बाद, दिनांक 27 फरवरी, 2017 के आदेश के अंतर्गत गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली (इसके बाद, 'जीजीएसआईपीयू') को नोटिस जारी किया गया और उसके बाद दिनांक 24 मई, 2019 के आदेश के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों और नियामक प्राधिकरणों को भी नोटिस जारी किया गया, जो नीचे सूचीबद्ध हैं: -

i) गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

ii) रीतानंद बलवेद एजुकेशन फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष

iii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

iv) अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली;

v) दिल्ली औषधि विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय;

vi) नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय;

vii) दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय;

viii) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान;

ix) इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय;

x) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान;

xi) भारतीय जन संचार संस्थान;

xii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली;

xiii) भारतीय विधि संस्थान;

xiv) भारतीय सांख्यिकी संस्थान;

xv) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय;

xvi) इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान;

xvii) यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान;

xviii) जामिया हमदर्द;

xix) जामिया मिलिया इस्लामिया;

(x) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय;

xi) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान;

xiii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली;

xiii) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली;

XXIV) कला संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान के इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान;

XXV) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय;

xvi) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय;

xvii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान;

xxviii) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर;

XXX) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ;

XXX) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय;

XXXI) टेरी विश्वविद्यालय;

XXXII) दिल्ली विश्वविद्यालय;

XXXIII) अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली;

XXXIV) दिल्ली ऐतिहासिक अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान;

XXXV) बार काउंसिल ऑफ इंडिया

8. दिनांक 16 मई, 2017 के आदेश के अनुसार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दयान कृष्णन को इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस और दो संकाय सदस्यों सहित पक्षकारगण को भी दिनांक 25 मई, 2017 को वर्तमान याचिका में अभियोजित किया गया था। जीजीएसआईपीयू और विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों और विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों ने शिकायत निवारण समितियों के संबंध में अपने शपथपत्र दर्ज किए, जिन्हें उनके द्वारा नियुक्त किया जाना था। दिनांक 23 अगस्त, 2017 के आदेश के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उपस्थिति में कमी के लिए माफी के संबंध में शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया गया और सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अपने-अपने महाविद्यालयों में शिकायत निवारण समितियों के संबंध में शपथपत्र दायर करने का समय दिया गया था।

9. आज न्यायालय ने विद्वान न्यायमित्र तथा एनआईईपीए की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अमितेश, जीजीएसआईपीयू की ओर से उपस्थित श्री

राहुल कौशिक, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से उपस्थित श्री प्रीत पाल सिंह आदि द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रस्तुतियाँ सुनीं।

10. एआईसीटीई, कुछ अन्य विनियामक प्राधिकरणों और संस्थानों के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं। उन्हें अगली सुनवाई की तिथि पर उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाए।

11. इसके अतिरिक्त, भारत संघ के स्थायी अधिवक्ता को भी नोटिस जारी किया जाए जिसमें अनुरोध किया जाए कि विद्वान अति.महासॉलि उपस्थित होकर न्यायालय की सहायता करें।

12. रजिस्ट्री द्वारा उन विद्वान अधिवक्तागण को नोटिस जारी किए जाएंगे जिन्होंने विभिन्न संगठनों और संस्थाओं की ओर से शपथपत्र दायर किए हैं और यदि कोई शपथपत्र दायर नहीं किया गया है, तो नामित अधिवक्ता को नोटिस जारी किया जाएगा।

13. <u>इस न्यायालय की राय में, इस मुद्दे का सार यह है कि क्या स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उपस्थिति की आवश्यकता अनिवार्य होनी चाहिए।</u> इस मुद्दे को किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान तक सीमित रखने के बजाय बहुत उच्च स्तर पर संबोधित किया जाना चाहिए। विनियामक निकायों और कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने क़ानून/अध्यादेशों में, ऐतिहासिक रूप से, अनिवार्य उपस्थिति आवश्यकताओं को निर्धारित किया है।

इस न्यायालय की राय में, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है, विशेष रूप से उन शिक्षण विधियों को ध्यान में रखते हुए जो कोविड-19 महामारी के बाद काफी हद तक बदल गई हैं। हाल के दिनों में, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए वर्चुअल रूप से कक्षाएं आयोजित करना, वर्चुअल रूप से या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से परीक्षाएँ आयोजित करना असामान्य नहीं है।

14. अनिवार्य उपस्थिति का मुद्दा युवा पीढ़ी में भी चिंता का विषय है, जो इसे पारंपरिक रूप से सोचे गए तरीके से बिल्कुल अलग तरीके से समझते हैं। शिक्षा अब कक्षा शिक्षण या पाठ्यपुस्तक शिक्षा तक सीमित नहीं है और वास्तव में, इसे अधिक व्यावहारिक क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है। हाल के दिनों में स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों जैसे, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कौशल संवर्धन पर अधिक ध्यान दिया गया है।

15. इसलिए, सामान्य रूप से उपस्थिति के मानदंडों पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता है, कि क्या इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए या उपस्थिति के न्यूनतम आवश्यक मानक क्या होने चाहिए या उपस्थिति की कमी के लिए शास्ति अधिरोपित करने के बजाय उपस्थिति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए आदि।

16. अनिवार्य उपस्थिति मानदंडों के कारण छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, इसलिए उपस्थिति आवश्यकताओं पर पुनर्विचार करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा। शैक्षणिक संस्थानों और उनकी स्थापना में शिकायत निवारण तंत्र की भूमिका को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। जहां तक उपस्थिति आवश्यकताओं का सवाल है, व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बीच अंतर करने की आवश्यकता हो सकती है।

17. यह कोई असामान्य बात नहीं है कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाले युवा नौकरी भी करते हैं और साथ ही साथ स्वयं को और अपने परिवार को सहारा देने के लिए शिक्षा भी लेते हैं। ऐसी स्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

18. इसके अलावा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थिति की आवश्यकताएं समान हो भी सकती हैं और नहीं भी, जहां प्रौद्योगिकी पूर्ण रूप से पारगम्य नहीं हो सकती है। उपस्थिति की कमी के लिए परीक्षा आदि से वंचित करके दंडित करने के बजाय उपस्थिति को सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

19. अब छात्रों के लिए इंटरनेट पर अपलोड किए गए वीडियो के माध्यम से अत्यंत जटिल विषय, वैज्ञानिक विषय या गणित सीखना कोई असामान्य बात नहीं रह गई है।

20. दुनिया भर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली वैश्विक प्रथाओं का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए जिससे यह देखा जा सके कि अनिवार्य उपस्थिति की आवश्यकता है या नहीं। इस न्यायालय की राय में, उपस्थिति के मानकों पर विचार करने के लिए शिक्षकों और छात्रों से परामर्श किया जाना चाहिए। अनिवार्य उपस्थिति की आवश्यकता पर पुनर्विचार करने के लिए व्यापक परामर्श की भी आवश्यकता होगी।

21. आधुनिक विश्व में शिक्षा को अधिक सार्थक बनाने के लिए उपरोक्त के साथ-साथ अन्य कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

22. इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय उपरोक्त सभी कारकों का अध्ययन करने तथा न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित करने का आशय रखता है, जिससे उपस्थिति आवश्यकताओं के संबंध में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए कुछ समान प्रथाएं विकसित की जा सकें।

23. विद्वान न्यायमित्र तथा कुछ अन्य अधिवक्तागण की दलीलें आज आंशिक रूप से सुनी जा चुकी हैं।

24. उपरोक्त मुद्दों पर प्रस्तुतियाँ देने के लिए एआईसीटीई हेतु कें.स.स्था. अधि. श्री अनिल सोनी, एनएमसी हेतु श्री तनुदभव देव सिंह और भारत संघ हेतु कें.स.स्था. अधि. श्री कीर्तिमान सिंह, सचिव, शिक्षा विभाग को नोटिस जारी

किया जाए। विद्वान अति.महासॉलि- श्री चेतन शर्मा से अनुरोध है कि वे न्यायालय की सहायता के लिए इस मामले में प्रस्तुतियाँ दें।

25. यदि किसी भी शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय ने पिछले आदेशों के अनुसार अपना शपथपत्र दायर नहीं किया है, तो वे दिनांक 5 सितंबर, 2024 तक ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

26. बोर्ड के शीर्ष पर दिनांक 9 सितंबर, 2024 को सूचीबद्ध करें।

27. यह आंशिक सुनवाई वाला मामला होगा।

28. *दस्ती* आदेश।

प्रतिभा एम. सिंह
न्यायाधीश

अमित शर्मा
न्यायाधीश

21 अगस्त, 2024/एमआर/बीएच

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*